[2018] 6 एस.सी.आर 662

डॉ. पंकज कुमुदचंद्र फडनीस

बनाम

विधि और न्याय मंत्रालय, भारत संघ

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8293/2018

मार्च 28, 2018

[न्यायमूर्ति, एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति, एल. नागेश्वर राव]

महात्मा गांधी हत्या मामला–मामले को फिर से सुनवाई के लिए रिट याचिकाकर्ता की प्रार्थना–महात्मा गांधी की लगभग 70 साल पहले हत्या कर दी गई थी–निचली अदालत ने 7 अभियुक्तों को हत्या और साजिश के अपराध के लिए दोषी ठहराया था और एक को बरी कर दिया था–उच्च न्यायालय ने 5 अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था और दो अभियुक्तों को बरी कर दिया था–लगभग 70 साल बाद, एक नए शोध के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका–उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने और उठाए गए दो प्रश्नों पर जाने से इनकार कर दिया, यानी कि क्या चार गोलियां कथित रूप से चलाई गईं और क्या कपूर आयोग की रिपोर्ट 46 साल की अवधि के बाद खोली जाए–विशेष अनुमति याचिका–आयोजितःआपराधिक मामले जिनके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई और यहां तक कि मृत्युदंड का निष्पादन हुआ और जिन लोगों ने आजीवन कारावास की सजा काट ली है, उनकी मृत्यु की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए–इसके अलावा, इस तरह की समीक्षा के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है–एक लंबे समय से समाप्त मामले में एक नया शोध आपराधिक अनुसंधान को फिर से शुरू करने को सही नहीं ठहराएगा–याचिकाकर्ता का इस विवाद को फिर से खोलने का प्रयास व्यर्थ है–अदालत को इस तरह के विवादास्पद मुद्दों से किसी भी कीमत पर सावधान रहना चाहिए और ऐसे उद्देश्यों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए–एसएलपी खारिज–आपराधिक अनुसंधान ।

राम किशन डालमिया बनाम न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर

[1959] एस. सी. आर. 279: ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 538–निर्दिष्ट।

संदर्भित विधि व्यवस्था

[1959] एस. सी. आर. 279 पैरा 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8293/2018

उच्च न्यायालय, बॉम्बे द्वारा दिनांक 06.06.2016 को पी. आई. एल. संख्या 32/2016 में पारित निर्णय और आदेश से।

ए. शरण, वरिष्ठ अधिवक्ता (एसी), संचित गुरु, सुश्री गरिमा बोस, सुश्री अपराजित मुखर्जी, समर्थ खन्ना, अधिवक्ता उपस्थित दलों के लिए।

डॉ. पंकज कुमुदचंद्र फडनिस, व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आदेश

न्यायमूर्ति, एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति, एल. नागेश्वर राव

1. महात्मा गांधी की हत्या दिनांकित 30.01.1948 को लगभग 70 साल पहले की गई थी। गाँधीजी की साजिश और हत्या के लिए 9 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया।सुनवाई के बाद दिल्ली के विद्वान स्पेशल जज ने सात अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए और एक को बरी करते हुए फैसला सुनाया।अभियुक्त नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई, चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास और शेष एक को सात साल की कैद की सजा सुनाई गई।दोषसिद्धि को पंजाब उच्च न्यायालय में अपील में चुनौती दी गई थी, उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.06.1949 के फैसले के माध्यम से पांच अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और दो अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया।आज कोई भी आरोपी जीवित नहीं है।

2. याचिकाकर्ता जो खुद को "एक इंजीनियर, प्रबंधन स्नातक, पीएचडी और जुनून के साथ एक शोधकर्ता" बताता है, उसने वर्ष 2016 में एक रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उठाए गए दो प्रश्नों में जाने से इनकार कर दिया, जैसे कि क्या चार गोलियां कथित रूप से चलाई गई थीं और क्या कपूर आयोग की रिपोर्ट को 46 साल की अवधि के बाद फिर से खोला जाना चाहिए।

3. याचिकाकर्ता ने जिस देरी से इस मुद्दे को उठाया है, वह गंभीर है।याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने उन परिस्थितियों के बारे में कुछ शोध करने के बाद अदालत का रुख किया जिसमें गांधीजी की हत्या हुई थी और हत्या में एक अनदेखे हाथ की संलिप्तता के बारे में आश्वस्त हो गए।हालाँकि, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि एक लंबे समय से समाप्त मामले में नया शोध आपराधिक अनुसंधान को फिर से शुरू करने को उचित ठहराता है या जो कुछ भी कहा जा सकता है उसे इस तरह के मामले को फिर से खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।आपराधिक मामले जिनके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है और यहां तक कि मृत्युदंड का निष्पादन और आजीवन कारावास की सजा काट चुके लोगों की मृत्यु की समीक्षा नहीं की जानी चाहिए, न ही समीक्षा के लिए कानून में कोई प्रावधान है।लेकिन हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि गांधीजी की हत्या एक दुनिया और राष्ट्र में दूरगामी परिणामों की घटना को सच्चाई जानने का अधिकार है।हालांकि निस्संदेह राष्ट्र को सच्चाई जानने का अधिकार है, लेकिन इस तरह के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां सच्चाई पहले से ही अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि कुछ अकादमिक शोध कानून में एक अलग दृष्टिकोण उठाते हैं।यह सुनी–सुनाई बातों के आधार पर मुद्दों को फिर से खोलने के बराबर होगा।

4. हम यह अवलोकन करने के लिए विवश हैं क्योंकि नाथूराम गोडसे को प्रार्थना सभा में मौजूद चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था।इस बैठक में अनगिनत लोगों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कैसे गोडसे आगे बढ़े और गांधी जी को गोली मार दी।सभी सबूतों से पता चलता है कि तीन गोलियां शरीर में घुस गईं।इसने आगे खुलासा किया किः

(i) हमले का हथियार अर्ध–स्वचालित बेरेटा पिस्तौल था जिसमें एक मैगजीन थी जो एक बार में सात कारतुस ले जा सकती थी।पी. डब्ल्यू.–31 द्वारा पिस्तौल के साथ चार जिंदा कारतुस बरामद किए गए।

(ii) घटना स्थल पर दो खाली कारतुस के डिब्बे पाए गए; तीसरा शॉल में पाया गया जब गांधीजी के शरीर को अंतिम अनुष्ठान स्नान दिया गया था।

(iii) मृत्यु रिपोर्ट में तीन गोलियों के घावों का उल्लेख किया गया हैः(ए) निप्पल के पास छाती के दाहिने हिस्से में एक चोट।(ख) छाती के नीचे दाहिनी ओर एक चोट।

(ग) पेट के दाहिने हिस्से में एक चोट।

बाहर निकलने के दो घाव थे, एक गोली शरीर से बाहर नहीं निकली थी।इस प्रकार, घटना स्थल पर केवल दो इस्तेमाल की गई गोलियां मिलीं।घटना स्थल पर कोई चौथी इस्तेमाल की गई गोली या खाली कारतुस नहीं मिला।

5. शाम 5:45 बजे दर्ज की गई एफ़. आई. आर. में तीन गोली चलाने का उल्लेख है।लेफ्टिनेंट कर्नल तनेजा द्वारा तैयार की गई शव का पंचनामा रिपोर्ट से पता चला कि गाँधीजी को केवल तीन गोलियों से चोटें आई थीं।छह चश्मदीद गवाह थे; पीडब्लू–31 (अमर नाथ), पीडब्लू–32 (नंदलाल मेहता), पीडब्लू–34 (रतन सिंह), पीडब्लू–37 (धरम सिंह), पीडब्लू–76 (रघुनाथ नाइक), पीडब्लू–82 (सरदार गुरबचन सिंह)।उनमें से प्रत्येक का उल्लेख है कि एकमात्र हमलावर नाथूराम गोडसे ने तीन गोलियां चलाई थीं। किसी भी पक्ष अर्थात अभियोजन या बचाव पक्ष ने सुझाव नहीं दिया कि चार गोलियां चलाई गईं या कोई दूसरा हमलावर था।विद्वान न्यायमित्र श्री अमरेंद्र शरण, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में इस संबंध में सभी प्रासंगिक साक्ष्यों का विस्तृत संदर्भ है।

6. याचिकाकर्ता द्वारा एक अन्य निवेदन यह है कि इस न्यायालय को कपूर आयोग के निष्कर्षों की समीक्षा करनी चाहिए।लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के पोते जी. वी. केतकर ने एक बयान दिया कि उन्हें घटना से पहले महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के बारे में जानकारी थी।इसने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और महात्मा गांधी की हत्या की साजिश की जांच के लिए कपूर आयोग का गठन किया गया।इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री जीवनलाल कपूर की अध्यक्षता वाले आयोग ने 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।याचिकाकर्ता के अनुसार, कपूर आयोग का अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष अनुचित है क्योंकि यह श्री सावरकर के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करता हैः–

> "एक साथ लिए गए ये सभी तथ्य सावरकर और उनके समूह द्वारा हत्या की साजिश के अलावा किसी भी सिद्धांत के लिए विनाशकारी थे" (कपूर आयोग की रिपोर्ट, खंड II का पृष्ठ 303) इसलिए उन्होंने इस निष्कर्ष की समीक्षा या एक नए आयोग की स्थापना के लिए प्रार्थना की।

7. विद्वान न्यायमित्र ने कहा कि यह निष्कर्ष श्री सावरकर के निधन के बाद प्रस्तुत किया गया था और श्री सावरकर या उनके किसी भी प्रतिनिधि को कोई अवसर नहीं दिया गया था।उन्होंने कहा कि यह निष्कर्ष अनुचित है क्योंकि श्री सावरकर को मुकदमे में बरी कर दिया गया था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह निष्कर्ष किसी भी तरह से बरी होने में हस्तक्षेप नहीं करता है और संभवतः एक सामान्य टिप्पणी है क्योंकि गोडसे और अन्य लोग श्री सावरकर से जुड़े पाए गए थे।इसका उस आपराधिक अदालत के फैसले को पलटने का प्रभाव नहीं हो सकता है जिसने श्री सावरकर को बरी कर दिया था।राम किशन डालमिया बनाम न्यायमूर्ति S.R.Tendolkar 1959 SCR 279 वाले मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने आयोग के निष्कर्षों के प्रभाव पर निम्नानुसार विचार किया:–

> "आयोग के पास एक आदेश पारित करने के अर्थ में निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है जिसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।"

इसके अलावा, संविधान पीठ ने जांच आयोग की रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया।

> "लेकिन यह देखते हुए कि जांच आयोग के पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं हैं और इसकी रिपोर्ट विशुद्ध रूप से सिफारिश करने वाली होगी और स्वतंत्र रूप से प्रभावी नहीं होगी। जांच आयोग के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान अधिनियम की धारा 6 के अधीन, जो किसी भी भावी कार्यवाही, दीवानी या आपराधिक में साक्ष्य में पूरी तरह से अस्वीकार्य है, जांच आयोग द्वारा "निवारण या सजा प्राप्त करने के लिए और उसके माध्यम से" कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें करने का कोई मतलब नहीं हो सकता है, जो उच्च न्यायालय के साथ सहमति में, हम सोचते हैं, संदर्भ में, पहले से किए गए या किए गए गलतियों के निवारण या सजा के लिए संदर्भित करता है, यदि कोई हो, तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और किसी भी व्यक्ति या निकाय के दृष्टिकोण से किसी भी तरह से प्रभावित हुए बिना, चाहे वह कितना भी उच्च शक्ति वाला हो।"

याचिकाकर्ता का यह कहना कि श्री सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है, गलत है।

8. हालाँकि, हम इस रिपोर्ट के निष्कर्षों की शुद्धता या निष्पक्षता में प्रवेश करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।यह निरर्थकता में एक और अभ्यास होगा और विवाद की नई आग को कम नहीं करेगा।इस न्यायालय

को इस तरह के विवादास्पद मुद्दों में किसी भी कीमत पर अलग होना चाहिए और इस तरह के उद्देश्यों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

9. इसलिए हम याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिपादित चौथे गोली सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।विद्वान न्यायमित्र ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि संग्रहालय में मूल तस्वीर के अवलोकन से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है।हम इस विवाद को फिर से खोलने के याचिकाकर्ता के प्रयास को व्यर्थ की कवायद मानते हैं।चूँकि तस्वीर लेने वाले व्यक्ति की जाँच नहीं की जा सकती है और किसी भी विशेषज्ञ द्वारा तस्वीर के बारे में दिया गया कोई भी बयान इस स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा।

10. न्यायालय श्री अमरेंद्र शरण, विद्वान न्यायमित्र की कृतज्ञ है, जिन्होंने अदालत की सहायता के लिए मामले के पूरे रिकॉर्ड और यहां तक कि राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रदर्शनों की बड़ी मेहनत से जांच की है।

11. हम इस एसएलपी में कोई बल नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

Jai Shankar Mishra